भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-46

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल किए गए विद्यार्थी

†46. **श्री जी. सेल्वम:**

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई ज़िलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या और उनमें मौजूद कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिलों में बच्चों की उपस्थिति, नामांकन और पोषण स्थिति के संबंध में पीएम पोषण योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएम पोषण योजना के अंतर्गत उक्त जिलों में सभी स्कूलों में स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए गए हैं तथा सामाजिक संपरीक्षा कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कांचीपुरम में 'वोकल फॉर लोकल' पहल के अंतर्गत स्थानीय रूप से उगाए गए एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सरकार द्वारा उक्त जिलों के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पीएम पोषण योजना के तहत खाने की गुणवत्ता, अवसंरचना और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा- I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझेदारी में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, पीएम पोषण योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 12,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और साझाकरण पैटर्न के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 8,500 करोड़ रुपये है, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों और पूरक पोषण मदों के मानदेय के लिए अतिरिक्त धनराशि शामिल है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन 24.15 लाख मीट्रिक टन है, जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम पोषण योजना के लिए कुल आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा किए गए 21,500 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हैं।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या और पीएम पोषण योजना के तहत कवर किए गए छात्रों की कुल संख्या इस प्रकार है:

जिला	सरकारी स्कूल	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	कुल छात्र
कांचीपुरम	586	79	51,556
तिरुवन्नामलाई	1960	178	1,46,446

(ख): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने मूल्यांकन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान विभाग, तमिलनाडु के माध्यम से एक मूल्यांकन अध्ययन किया है और मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर मेनू को संशोधित किया गया था। भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से योजना का आकलन भी किया है।

(ग)और (घ): प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने, बागवानी और छात्रों के बीच खाने की आदत डालने के लिए इस योजना के तहत स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) स्थापित किए गए हैं। कांचीपुरम जिले में 413 स्कूल किचन गार्डन और तिरुवन्नामलाई जिले में 1399 किचन गार्डन स्थापित किए गए हैं। कांचीपुरम के 20 स्कूलों और तिरुवन्नामलाई जिलों के 41 स्कूलों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी।

योजना की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए, सरकार ने 'वोकल फॉर लोकल' सहित कई पहलों को मंजूरी दी जिसके तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और किसान उत्पादक संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ आदि से स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों जैसे बाजरा, सब्जियां, मसाले आदि की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पोषण मानकों में सुधार के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि जिला कलेक्टरों के पास निश्चित मेनू के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध आइरन युक्त सब्जियों जैसे सहजन, मोरिंगा के पत्ते, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का चयन करने और शामिल करने का अधिकार है।

(ङ): भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए गुणवत्ता और ब्रांडेड मदों की खरीद करने , रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।। साथ ही, इसमें यह सुनिश्चित करना है कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा प्रत्यायित या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम पोषण योजना के तहत, प्रभावी कार्यान्वयन, गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने विशिष्ट निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों में रसोई-सह-भंडार (केसीएस) के निर्माण और मरम्मत का प्रावधान है। किसान क्रेडिट कार्ड के निर्माण और सुधार के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

इस योजना में विस्तृत निगरानी तंत्र का भी प्रावधान है जैसे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की

अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति। पीएम पोषण दिशा-निर्देशों में तिमाही आधार पर योजना की निगरानी करने के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य (एम पी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का प्रावधान है।

*****